NAND): (a) to (d) During the Sixth and Seventh Five Year Plans. following four medium irrigation projects have been approved:

(Rs. in crores)

Name of Project	Latest estimated cost	Anticipated expenditure by 1986-87 from State Plan resoures	Target for completion
Bankabahal	26.95	16.71	VII Plan
Badanalla	39 87	12.24	VIII Plan
Kansabahal	16.29	12.90	VII Plan
Upper Jonk	24.71	6.62	VII Plan

टाइप I आवास का आवंटन

2017. **श्री सूरज प्रसाद**: क्या **शहरी विकास** मंत्री 28 नवम्बर, 1986 को राज्य सभा में आतारांकित प्रश्न 2361 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत श्रीमती राम प्यारी के अलावा दो अन्य जूनियर इंजीनियरों को, जिन्हें उनके माता पिता की सेवा निवृत्ति पर नियोजित किया गया है टाइप I क्वाटर आवंटित किए गए हैं; यदि हां, तो किन आधारों पर ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्वार्टरों (टाइपI) में अपने माता पित के हाथ रहने वाले तथा मकान किराया भत्ता नहीं लेने वाले कुछ तदर्थ कर्मचारियों ने 1986 में अपने विभागों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद अपने कार्यालयों द्वारा सम्पदा कार्यालय को वे आवेदन अग्रेषित करा दिए जिनमें जनवरी, 1986 में उनके माता पिता की सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी आवास के आवंटन का अनुरोध किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कनिष्ट इंजीनियर का एक मामला जो कि अपने पिता की सेवा-निवृत्ति के 4 महोने और 23 दिन बाद नौकरी पर लगा है तथा जिसके मामलों में अनुकम्पा आधार पर टाइप 1 के क्वाटर के आवंटन को नियमित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कार्मिक तथा लोक शिकायत विभाग में तदर्थ आधार पर कार्यरत चपरासी श्री बृज मोहन सिंह नेगी ने जनवरी 1986 में आवंटन को नियमित करने के लिए आवेदन किया था तथा उसके नाम में आवंटित नियमित नहीं किया जा सका क्योंकि उनके विभाग ने उसकी सेवाओं को तदनन्तर नियमति नहीं किया था।

2018. [*Transferred to the 19th March*, 1987]

Import duty on scrap and sponge iron

2019. SHRI F. M. KHAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Federation of Engineering Industries have recently sent a representation to Government regarding exemption of import duty on melting scrap and sponge iron;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) and (b) Federation of Engineering Industries of India have represented regarding uneconomic operations of mini steel plants in recent years due to increase in cost of inputs and fall in prices of finished products. The federation has requested for continuation of MODVAT scheme and abolition of custom duty on imported scrap.

(c) Government have taken steps to improve scrap availability to mini steel plants by increasing imports and reducing the level of custom duty.

Guidelines to bank for I.R.D.P. loans

2020. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that banks have not been following the guidelines set by Government regarding I.R.D.P. loans; and

(b) if so, what are the steps taken or proposed to be taken to overcome this bottleneck?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) Banks have, generally, been following guidelines issued for sanction of loans under IRDP. Credit support for IRDP has been satisfactory. During 1985-86 an amount of Rs. 730.15 crores has been mobilised as term credit for IRDP. During the current year. upto January 1987, an amount of Rs. 621.21 crores has been mobilised as term credit.

(b) Whenever any cases of violation of the IRDP guidelines are brought to the notice of Government, the matter is taken up with the Head Offices of the banks, Reserve Bank of India (RBI) or the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Policy matters regarding credit support to IRDP are discussed in the High Level Committee on Credit. A Consultative machinery for bankers and Government officials to sort out local problems has also been set up at the State, District and Block levels.

दिल्ली में भूमि का भाव

2021. **श्री धूलेश्वर मीणा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस सरकारी भूमि का भाव क्या था जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दक्षिणी दिल्ली में 1975 में जनता को बेचा था ; और

(ख) 1980 तथा 1986–87 में प्रति वर्ग मीटर बाजार भाव क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दक्षिणी दिल्ली में 1975 में नीलाम किए गए रिहायशी प्लाटों की बाजार दर 364/-रुपये से 442/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच थी।

(ख) वर्ष 1980 में, बाजार दर 1683/-रुपये से 2182/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के मध्य थी।

अर्नजित वृद्धि, जो 3600/- रुपये से 5000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, को वसूल करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 1986 में दक्षिणी दिल्ली में बाजार दर निर्धारित की गई थी।

नई दिल्ली में सनलाइट झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में भूखंड

2022. **श्री धूलेश्वर मीणा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सनलाइट झुग्गी झोपड़ी कालोनी, नई दिल्ली–11 में 80 वर्ग गज के कुल कितने